न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 33/2024 एल.आर.एक्ट

GCMS No. 2024/38

1. भीखाराम पुत्र चान्दाराम जाति बिश्नोई, निवासी केलनसर, तहसील धन्टियाली जिला फलौदी हाल निवासी भेलू तहसील हंदा जिला बीकानेर।
2. पांचाराम पुत्र चान्दाराम जाति बिश्नोई, निवासी केलनसर, तहसील धन्टियाली जिला फलौदी हाल निवासी भेलू तहसील हंदा जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व हंदा, जिला बीकानेर।
2. ग्राम पंचायत भेलू, जरिये सरपंच, तहसील हंदा, जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

3. लादूराम पुत्र चान्दाराम जाति बिश्नोई, निवासी केलनसर, तहसील धन्टियाली जिला फलौदी।

— परफोर्मा रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री हरिराम बिश्नोई — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री गोविन्द राम डूडी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3

निर्णय

दिनांक 02.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत जिला बीकानेर के निर्णय दिनांक 15.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि —

1— वादगत भूमि ग्राम भेलू तहसील हदां के खेत खाता संख्या 22 खसरा नंबर 59 कुल तादादी 25.3100 हैक्टयर भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 15.12.2021 द्वारा अपीलांट्स की खाता संख्या 22 खसरा नंबर 59 की भूमि में से गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करने आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत के उक्त

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 15.12.2021 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि खसरा नंबर 59 में से पूर्व में एक रास्ता उत्तर से दक्षिण 282/59 0.0500 हैक्टयर का दौराने सेटलमेंट कायम कर दिया गया जो रिकॉर्ड में दर्ज है। अब वर्तमान में बिना किन्हीं पक्षकारों की मांग किये बगैर ही पुराना रास्ता बताकर प्रशासन गांवों के संग अभियान दिनांक 15.12.2021 में पुराना रास्ता बताकर तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव बनाकर शिविर प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत कर एक और नया रास्ता अपीलांटगणों के खातेदारी कृषि भूमि के बीचों बीच कायम कर दिया गया व अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना, सुनवाई व सबूत पेश करने के अवसर दिये बगैर एक तरफा तौर पर पुराना रास्ता दिखाकर जो आदेश पारित करवाया गया है वो आदेश हर प्रकार से निरस्त योग्य हैं। वर्तमान में रास्ता कायत करवाने के लिए किसी भी काश्तकार द्वारा प्रार्थना—पत्र पेश नही किया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा तहसीलदार से मिलीभगत करके उक्त रास्ता कायम करवा कर मननरेगा के तहत मुडिया कांकर डालकर घोटाला करने की फिराक में है, जबकि मौके पर कोई रास्ता नही है। सिर्फ सरपंच व तहसीलदार एवं तत्कालीन पटवारी हल्का की मिलीभगत से ये सब किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश राजस्व कैम्प भेलू तहसील कोलायत में सरपंच द्वारा राजस्व कर्मचारियों से साठ गाठ करके 65 वर्ष पूर्व की अधिसूचना का हवाला देकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वो आदेश हर प्रकार से निरस्त योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.12.2021 निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत कें संबंध में प्रकरण में गांव हनुमाननगर तहसील श्री कोलायत राजस्व गांव से गुलाबनगर राजस्व गांव से होते हुए गांव केलनसर गांव सम्पर्क रास्ता हैं जिस पर अभी राज्य सरकार द्वारा ग्रेवल सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी करने के बाद अर्थवर्क का कार्य पुरा हो चुका है इसी रास्ते पर राजकीय प्राथमिक विधालय गुलाबनगर स्थित है जो इस स्कूल के सभी विद्यार्थीयों के आवगमन का यही रास्ता है। जिसे भीखाराम व पांचा राम ने उकत रास्ता अवरूद्ध करने पर उतारू है लेकिन इसी दोनों के सगे भाई लाधूराम ने पूर्व में सहमति देकर रास्ता खोला हुआ है तथा सहमत है। इसके साथ अन्य 8—9

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

काश्तकार रास्ता हेतु सहमत है। अगर यह रास्ता भीखाराम व पांचाराम द्वारा बंद कर दिया गया तो स्कूल के विद्यार्थीयों का भविष्य खराब हो जायेगा। इस कारण अपील अपीलांट निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने अपने आदेश दिनांक 15.12.2021 ने अपीलांट्स की वादगत भूमि में से गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के रिकॉर्ड का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने अपीलांट्स को किसी प्रकार की सूचना, सुनवाई व सबूत पेश करने के अवसर दिये बगैर एक तरफा तौर पर पुराना रास्ता दिखाकर जो आदेश पारित कर दिया। जो न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2021 अपील अपीलांट की हद तक निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर